कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल देहरादून
तपोवन रोड निकट दूरदर्शन केन्द्र रायपुर रोड देहरादून।
फोन /फैक्स : 0135–2789747

पत्रांक 63 /ग्रा0अ0से0/निविदा सूचना– 03 /2016–2017 दिनांक 25/4/2016

–: निविदा सूचना :–

उत्तराखण्ड राज्यपाल महोदय की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न कार्यों की सीलबन्द निविदा **भवन निर्माण** कार्यों हेतु विभाग निम्न तालिका के कॉलम 06 के अनुसार पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 17.05.2016 को अपरान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय अधीक्षण अभि ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल देहरादून में आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन सांय 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा प्राधि प्रतिनिधि द्वारा निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 16.05.2016 तक किसी भी कार्य दिव सांय 4.00 बजे तक निर्धारित शुल्क जमा करा कर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल देहरादून से प्राप्त किये सकते है।

क0 सं0	कार्य का नाम	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य टी0टी0	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार हेतु श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1	जनपद टिहरी के विकासखण्ड भिलंगना में बी0डी0सी0 हॉल का निर्माण कार्य।	180000.00	2000.00 + 13.5%TT	12 माह	"बी एवं उच्च"
2	जनपद टिहरी के विकासखण्ड चम्बा के ग्राम नागणी में मत्स्य पालन विभाग की भूमि पर चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	130000.00	2000.00 + 13.5%TT	08 माह	"बी एवं उच्च"

–:निविदा की शर्तें:–

1. बिना धरोहर धनराशि की निविदा मान्य नहीं होगी।
2. निविदा हेतु मैनुवल 69/70 के समस्त प्राविधान लागू होंगे।
3. निर्माण कार्य से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दिनांक 17.05.2016 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस को प्रखण्ड कार्यालय टिहरी/घनसा से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही निविदादाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा डालने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्ष कर लें।
4. निविदा के साथ ठेकेदार द्वारा उक्त धरोहर धनराशि की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 (राष्ट्रीयकृत बैंक) जो कि अधीक्षण अभियन्त ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल देहरादून के नाम बन्धक हो, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदा क्रय करते समय ठेकेदारों द्वारा उक्त बन्धक एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 को कार्यालय में दिखाना आवश्यक होगा।
6. निविदा की वैद्यता 90 दिन होगी। निविदा दरों की वैधता के लिए निविदा के साथ 100 रू0 का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर प 1.00 रू0 का रेवन्यू टिकट पर हस्ताक्षर सहित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. सफल निविदादाता को सूचना मिलने पर एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार जमानत धनराशि अधोहस्ताक्षरी के पदनाम बन्धक रख हुए अनुबन्ध गठित करने हेतु उपस्थित होना होगा अन्यथा जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. प्राक्कलन की दरों से अत्यधिक कम दरें प्राप्त होने पर शासनादेश सं0 6447 दि0 02.01.2013 के अनुसार Additiona performance security जमा करनी होगी।
9. सशर्त एवं अपूर्ण निविदा मान्य नहीं होगी।
10. निविदा खरीदते समय ठेकेदार को अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र प्रतिनिधि द्वारा क्रय करने के स्थिति में क्रय करने से पूर्व निविदा क्रय करने/निविदा डाले जाने का प्राधिकार पत्र, जिसमें प्राधिकृत व्यक्ति का फोटो/हस्ताक्ष नमूना सत्यापित हो, कार्यालय में जमा कराते हुए निविदा प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा।
11. किसी भी विवाद के लिये न्यायालय क्षेत्र टिहरी होगा।
12. निविदा में दी गई दरे प्रतिशत में ही मान्य होगी।
13. डाक द्वारा निविदा मंगाने पर निविदा मूल्य के अतिरिक्त डाक व्यय पृथक से वहन करना होगा विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर कोइ विचार नही किया जायेगा।
14. सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत ही कार्य सम्पादित करवाया जायेगा। चार माह के अन्तर्गत द्वितीय किस्त/अवशेष धनराशि प्राप्त न होने पर ठेकेदार अनुबन्ध के अन्तिमीकरण हेतु स्वतन्त्र होगा।
15. किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
16. ऐसे ठेकेदार जो पूर्व से विभाग में कार्य कर रहे है और उनके द्वारा अनुबन्ध के समय से डेढ गुना अधिक समय में कार्य पूर्ण नही किया गया है उनको निविदा विक्रय नही की जायेगी।

17. टी०ए०सी० उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के उपरान्त कार्य पर यदि कोई कमी पांई जाती है या कोई वसूली निकाली जाती है तो उसका उत्तरदायित्व ठेकेदार को वहन करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर टी०ए०सी० की जांच के उपरान्त ठेकेदार की जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग
परिमण्डल देहरादून

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार ।

प्रतिलिपि– निम्नाकितो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी/घनसाली को इस निर्देश के साथ प्रेषित की दिनांक 02.05.2016 से पूर्व सम्बन्धित कार्य का प्राक्कलन तथा शेडयूल बी निविदा विक्रय हेतु तैयार कर परिमण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. सहायक निदेशक मत्स्य टिहरी गढ़वाल।
4. जिला विकास अधिकारी टिहरी गढ़वाल।
5. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी टिहरी।
6. कैशियर/नोटिस बोर्ड परिमण्डल/प्रखण्ड कार्यालय टिहरी गढ़वाल।

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग
परिमण्डल देहरादून।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून।

पत्रांकः–72 / ग्रा0नि0वि0 / निविदा / 2016–17 दि0– 30-4-16

निविदा संशोधन सूचना

इस कार्यालय की निविदा सूचना सं0–3 पत्रांक 63 दि0 25.04.2016 के द्वारा प्रकाशित निविदा के कम सं0–2 में अंकित कार्य के पूर्ण करने की अवधि 8 माह के स्थान पर संशोधित करते हुए 4 माह की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेगी।

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण निर्माण विभाग
परिमण्डल देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।
प्रतिलिपि– निम्नाकितो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विज्ञापन व्यवस्थापक हिन्दुस्तान / राष्ट्रीय सहारा, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि संशोधित सूचना को अपने समाचार पत्र के पर्वतीय संस्करण में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी ।
4. सहायक निदेशक, मत्स्य, टिहरी गढवाल।
5. जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी टिहरी गढवाल।
6. कैशियर / नोटिस बोर्ड परिमण्डल कार्यालय देहरादून।

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण निर्माण विभाग
परिमण्डल देहरादून।